

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या: एस0टी0ई0-एफ0(4)-2/ 2008-11, तारीख 19 मार्च 2011, के अंतर्गत सभी दुकानदारों, विक्रेताओं, थोक व्यापारियों, फुटकर विक्रेताओं, फेरीवालों आदि सहित किसी भी व्यक्ति या संस्था/वाणिज्यिक स्थापन द्वारा प्लास्टिक वस्तुएं जैसे प्रयोज्य (डिस्पोजेबल) प्लास्टिक कप, प्लेट व गिलास, जो हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (नियन्त्रण) अधिनियम, 1995 की अनुसूची में सूचीबद्ध जीव अनाशित पदार्थों से निर्मित हैं, के प्रयोग और व्यवसाय को तारीख 15 अगस्त, 2011 से प्रतिबंधित किया गया था।

उपरोक्त प्रतिबन्ध के संदर्भ में शिमला व्यापार मण्डल तथा कांगडा पौलीबैगज निर्माता एवं विक्रेता संगठन द्वारा अपने प्रतिवेदन में सरकार से यह आग्रह किया गया कि उनके कुछ सदस्य प्रयोज्य प्लास्टिक कप, प्लेट व गिलास का व्यवसाय करते हैं और उनके पास इसका काफी सारा स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने यह भी दर्शाया है कि वे उक्त प्लास्टिक वस्तुओं का विकल्प भी नहीं खोज पा रहे हैं। अतः उन्होंने प्रयोज्य प्लास्टिक कप, प्लेट व गिलास के प्रयोग और व्यवसाय पर तारीख 15 अगस्त, 2011 से लागू प्रतिबंध को स्थगित करने का अनुरोध किया।

जबकि उक्त प्लास्टिक उत्पादों का विकल्प उपलब्ध है और ऐसे पर्यावरण-मित्र उत्पाद बाजार में उपलब्ध हैं जो कि सफलतापूर्वक इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि प्रारम्भ में ऐसे पर्यावरण-मित्र उत्पादों की कीमतें प्लास्टिक उत्पादों की तुलना में अधिक होंगी किन्तु इनके व्यापक इस्तेमाल से इनकी कीमतों में निश्चित तौर पर कमी आ जाएगी।

तथापि शिमला व्यापार मण्डल तथा कांगडा पौलीबैगज निर्माता एवं विक्रेता संगठन के आग्रह पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने उक्त प्रतिबंध के लागू होने की निर्धारित तारीख को स्थगित करने पर विचार किया।

अतः उपरोक्त विषय पर विचार करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, अधिसूचना संख्या: एस0 टी0ई0-एफ0(4)-2/2008-11, तारीख 19 मार्च 2011 में आंशिक उपांतरण करते हुए यह अधिसूचित करती हैं कि प्लास्टिक वस्तुएं जैसे प्रयोज्य (डिस्पोजेबल) प्लास्टिक कप, प्लेट व

गिलास, जो हिमाचल प्रदेश जीव-अनाशित कूड़ा कचरा (नियन्त्रण) अधिनियम, 1995 की अनुसूची में सूचीबद्ध जीव अनाशित पदार्थों से निर्मित है, के प्रयोग और व्यवसाय पर घोषित प्रतिबन्ध 15 अगस्त, 2011 के स्थान पर 2 अक्टूबर 2011 (गांधी-जयन्ती) से प्रभावी होगा।

आदेश द्वारा,

दीपक सानन  
प्रधान सचिव (पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौ०)  
हिमाचल प्रदेश सरकार


पृष्ठांकन संख्या यथा उपरोक्त

दिनांक शिमला 2

28 सितम्बर, 2011

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित है:

- 1 सचिव, राज्यपाल, हि० प्र०, शिमला-2 ।
- 2 प्रधान निजी सचिव, मुख्य मन्त्री, हि० प्र० शिमला-2 ।
- 3 समस्त निजी सचिव, मा० मन्त्री, हि० प्र०, शिमला-2 ।
- 4 निजी सचिव, मुख्य सचिव, हि० प्र० सरकार, शिमला-2 ।
- 5 समस्त प्रशासनिक सचिव, हि० प्र० सरकार ।
- 6 समस्त विभागाध्यक्ष, हि० प्र० ।
- 7 समस्त जिलाधीश, हि० प्र०
- 8 निदेशक, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नारायण विला, शिमला-2 ।
- 9 सदस्य सचिव, हि० प्र० राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, अधो-बीसीएस, शिमला-9 ।
- 10 सदस्य सचिव, हि० प्र० राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद्, कसुम्पटी, शिमला-9 ।
- 11 नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री विभाग, हि० प्र०, शिमला-4
- 12 गार्ड नस्ति ।

  
अति० सचिव (पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौ०)  
हिमाचल प्रदेश सरकार